बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।

अधिसूचना संख्या–04. पटना, दिनांकः– 14.6.24.

अधिसूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या–86/2019 (ज्ञान प्रकाश @ पप्पू सिंह बनाम् भारत सरकार एवं अन्य) के संदर्भ में दिनांक–18.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में नये पेट्रॉल पम्प की स्थापना हेतु दूरी एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं से संबंधित मार्गदर्शिका तैयार कर इसके क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों को प्रेषित की गयी है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, चेन्नई बेंच द्वारा ओ.ए. संख्या–138/2020 (एस.जेड.) में दिनांक–23.12.2021 को पारित आदेश के आलोक में पेट्रॉल पम्प के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सहमति प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश का पारा–69 (iii) & (iv) इस प्रकार हैः–

Para-69 (iii): The Central Pollution Control Board (CPCB) as well as the State Pollution Control Boards are directed to issue direction under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and Section 18 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to make it mandatory to obtain Consent to Establish and Consent to Operate for new petroleum outlets to be established in future and even to those which are under the preparation of establishment, but not started construction as has been done by the State Pollution Control Board, Kerala and such a direction should be issued within a period of 3 (Three) months and till then, all the new Retail Petroleum Outlets are directed to apply for Consent to Establish and Consent to Operate before its establishment.

Para-69 (iv): We also direct all the existing Retail Petroleum Outlets irrespective of its turnover to obtain Consent to Operate for the existing outlets within a period of 6 (Six) Months. If it is not obtained, then the concerned State Pollution Control Board is directed to take appropriate action against such petrol pumps in accordance with law.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम भी.बी.आर. मेनन एवं अन्य के संदर्भ में सिविल अपील संख्या–421 ऑफ 2022 (सिविल अपील संख्या–2039 ऑफ 2022 के साथ) में दिनांक–14.03.2023 को पारित आदेश

[पारा–48(बी.)] द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण दक्षिण बेंच के आदेश [पारा–69 (iii) & (iv)] को रद्द करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को निदेश दिया गया है कि वे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उनके द्वारा दिनांक–07.01.2020 को निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दें। उपरोक्त मार्गदर्शिका का उल्लंघन होने पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् दोषी पेट्रोलियम आउटलेट के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करेंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील में पारित आदेश का [पारा–48 (बी.)] निम्नवत् है:–

Para 48(b): We set aside the directions issued by the NGT in the impugned order as contained in para 69(iii) and (iv). Instead, we direct the CPCB to instruct all the State Pollution Control Boards to ensure that the guidelines issued by it vide the Office Memorandum dated 07.01.2020 are strictly adhered to. If there is breach of any of the guidelines issued by the CPCB vide Office Memorandum dated 07.01.2020, then the concerned State Pollution Control Board shall proceed against the erring outlet in accordance with law at the earliest.

उपरोक्त आदेश के आलोक में पर्षद् मंडल की दिनांक–10.06.2024 को आयोजित 118वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार :–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में पेट्रोलियम आउटलेट (पेट्रॉल पम्प, सी.एन.जी एवं बायोडीजल आउटलेट) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति से मुक्त किया जाता है।

2. ई–वाहन चार्जिंग सुविधा को भी जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति से मुक्त किया जाता है।

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नये पेट्रॉल पम्प की स्थापना से संबंधित दिनांक–07.01.2020 को निर्गत गाइडलाईन्स के आलोक में सभी तेल कम्पनी अपने पेट्रोलियम आउटलेट की स्थापना निर्धारित गाइडलाईन्स के अनुरूप स्थापित करेंगे एवं वहाँ Vapour Recovery System (VRS) की स्थापना एवं इसका रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे। इसका क्रियान्वयन सभी तेल कम्पनी सुनिश्चित करेंगे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले पेट्रोलियम आउटलेट की जानकारी संबंधित तेल कम्पनी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को सूचित करेंगी।

4. वैसे पेट्रोलियम आउटलेट जहाँ पर 20 KVA अथवा इससे अधिक क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित/संचालित करने की योजना है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इस पर अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(एस.चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस.चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

ज्ञापांकः– 138228 पटना, दिनांकः– 14.6.24.

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित तेल कम्पनी/सदस्य–सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Signed by
S. Chandrasekar
Date: 13-06-2024 14:18:53
(एस.चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।